उत्तराखंड में कड़े पंजीकरण मानदंडों के साथ समान नागरिक संहिता लागू

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड **सरकार 26 जनवरी, 2025** को [समान नागरिक संहिता (UCC)] लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत और नागरिक मामलों से संबंधित पंजीकरणों के लिये कई अनिवार्य आवश्यकताएँ शामिल होंगी।

मुख्य बिंदु

- **UCC पोर्टल**
  - **पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ निम्नलिखित हैं:**
    - विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण।
    - लिव-इन रिश्तों की समाप्ति।
    - बिना वसीयत के उत्तराधिकार और कानूनी उत्तराधिकारी की घोषणा।
    - वसीयतनामा उत्तराधिकार।
    - अस्वीकृत आवेदनों के मामले में शिकायत पंजीकरण और अपील।
- **व्यक्तिगत और सिविल मामलों के लिये विभिन्न आवश्यकताएँ शामिल हैं:**
  - **लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण:**
    - मौजूदा और नए लिव-इन जोड़ों को अपने रिश्ते को पंजीकृत कराना होगा।
    - **आवेदकों को आयु, राष्ट्रीयता, धर्म, फोन नंबर** और **पिछले संबंध की स्थिति का प्रमाण** जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।
    - दोनों भागीदारों की तस्वीरें और घोषणाएँ अनिवार्य हैं।
    - ऐसे रिश्तों में पैदा हुए बच्चों को **जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिये।**
  - **विवाह और तलाक पंजीकरण:**
    - पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये UCC पोर्टल के माध्यम से विवाह और तलाक के लिये सख्त आवश्यकताएँ लागू की गई हैं।
  - **वसीयत उत्तराधिकार:**
    - घोषणाकर्त्ताओं को अपना, अपने उत्तराधिकारियों और गवाहों का **आधार से जुड़ा विवरण प्रस्तुत करना होगा।**
    - जालसाजी या विवाद को रोकने के लिये गवाहों को उत्तराधिकार घोषणा-पत्र पढ़ते हुए स्वयं की **वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करना** आवश्यक है।
  - **विवाह एवं रिश्तों के लिये शिकायत तंत्र:**
    - कोई तीसरा पक्ष **UCC पोर्टल** पर शिकायत के माध्यम से **विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।**
    - झूठे आरोपों का मुकाबला करने के लिये ऐसी शिकायतों का सत्यापन **उप-पंजीयक** द्वारा किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता (UCC)

- समान **नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिये विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत** और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह को संदर्भित करती है।
- समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख [भारतीय संविधान] के **अनुच्छेद 44 में** [राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत] के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ucc-in-uttarakhand-with-stringent-registration-norms